



330

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ,ग्वालियर

प्रकरण कमांक

-दो/2014 निगरानी R-2549-11/14

1. गणेशप्रताप सिंह

2. मुकुटसिंह पुत्रगण यज्ञशरणसिंह

निवासी ग्राम- कंधवार, तहसील

रामपुर नैकिन जिला- सीधी

विरुद्ध

1. सुरेन्द्र बहादुर सिंह तनय बजरंग सिंह

निवासी ग्राम- कंधवार तहसील -रामपुर

नैकिन जिला-सीधी ' मुल अनावेदक

2. श्री निवास सिंह

3. रमेश कुमार सिंह पुत्रगण यज्ञशरणसिंह

निवासी ग्राम- कंधवार तहसील रामपुर

नैकिन जिला- सीधी औपचारिक पक्षकार

श्री मुकुटसिंह पुत्रगण, काय  
द्वारा आज दि 12-8-14  
प्रस्तुत  
१००/-  
१२-८-१४  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

5/2/2014  
12/8/2014

जिलाध्यक्ष सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 50/2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 11-07-2014 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं:-

1- यह कि, जिलाध्यक्ष महोदय का विवादित आदेश अवैध अनुचित एवं प्रकरण के तथ्यों से विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा प्रकरण कमांक 147/बी-121/2010-11 अपील में पारित

9

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2549-दो/2014

जिला सीधी

गणेश विरूद्ध सुरेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर सीधी के प्रकरण क्रमांक 50/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>28/2/2019</p>